Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU

BA-2, Paper-3, Indian Government and Politics

Date - 28.01.2022

DPSP - राज्य के नीति निदेशक तत्व

निदेशक तत्वों की आलोचना -

1. के. टी. शाह के अनुसार "राज्य के DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है।
2. DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
3. DPSP को भारतीय संविधान में मूलभूत तो घोषित किया है लेकिन उन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता।
4. DPSP अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद / संघर्ष का कारण बन जाते हैं।
5. DPSP में Art 44. समान नागरिक संहिता को आज भी लागू नहीं किया गया।
6. DPSP का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिनसे वह निर्देशित होते हैं।

DPSP में किए गए संशोधन

- 42 वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें Art 39 क, 43 क तथा 48 क को शामिल किया गया है।
- 44 वें संशोधन अधि 1978 के माध्यम से Art 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है।
- Art 45 राज्य प्रारंभिक शैशव की देख रेख और सभी बच्चों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए

प्रयास करेगा।" यह 86 वें संशो अधिनियम 2002 की तहत धारा-3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- 97 वें संशो अधिनियम 2011 के माध्यम से Art 43 ख' में 'सहकारी समिति' शब्द को जोड़ा गया है।

मूल अधिकार व निदेशक तत्वों में टकराव

संवैधानिक व्यवस्था में DPSP और FRs में कई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते थे, जिन पर भिन्नता पाई जाती है-

- Art 32 के तहत FRs. न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाए गए हैं Art 37 - DPSP न्या. द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 1951 के चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य केस में न्यायालय के फैसले का झुकाव भी FRs की ओर हुआ था।
- केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद में न्या. ने दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत अपनाया।
- 42 वें संशो. अ. 1976 में सभी DPSP को Art 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई।
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42वें संशोधन पर DPSP पर की वरीयता को समाप्त कर DPSP व FRs में संतुलन को संविं. का मूल ढांचा घोषित किया गया। वर्तमान में Art 39(ख) और 39(ग) में उल्लिखित DPSP को FRs के Art 14, 19 पर वरीयता दी गई है।

भूमि सुधार, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का गठन, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा अभियान, वन्य जीवों का संरक्षण, सार्वजनिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति व समझौता ये सभी व्यवहारिक योजनाओं में DPSP को ही आधार बनाया गया है।

Scanned with CamScanner